

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 42

गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान सेवा में देरी

*42. श्री कोडिकुन्निल सुरेश:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू और खाड़ी क्षेत्र में एयर इंडिया की उड़ानों में विलंब होने और उन्हें रद्द किए जाने की जानकारी है, जिसके कारण ऐसे कई यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और रोजगार की हानि भी हुई है जो समय पर अपने कार्यालय में नहीं पहुंच पाए और यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का एयर इंडिया लिमिटेड के साथ विचार-विमर्श करके इस मुद्दे का समाधान/हल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने और विमान यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए कोई अन्य सुधारात्मक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

उड़ान सेवा में देरी के संबंध में श्री कोडिकुनील सुरेश द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 25.07.2024 के मौखिक प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग) : एअर इंडिया सहित अनुसूचित एयरलाइनें, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार अपनी उड़ानें परिचालित करती हैं। मौसम, तकनीकी, परिचालन संबंधी मामलों सहित अन्य विभिन्न कारणों से उड़ानें रद्द/विलंबित होती हैं।

एअर इंडिया के पास अप्रैल 2024 से जून 2024 की अवधि के दौरान छह महानगरों (घरेलू क्षेत्रों) नामतः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु से 19253 उड़ानों का कार्यक्रम था। इसमें से 0.2% उड़ानें रद्द हो गईं और 4.5% उड़ानें विलंबित (उड़ानों में 60 मिनट से अधिक की देरी हुई) हुई थीं। एअर इंडिया के पास 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान भारत से खाड़ी देशों के लिए 1600 उड़ानों का कार्यक्रम था, जिनमें से लगभग 2% उड़ानें रद्द हो गईं और 4.6% उड़ानें विलंबित (उड़ानों में 60 मिनट से अधिक की देरी हुई) हुई थीं।

उड़ान में बुकिंग कराने वाले यात्रियों को समुचित सूचना दिए बिना उड़ान में व्यवधान, रद्द होने और उड़ान में देरी के मामले में हवाई यात्रियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 3, श्रृंखला एम, भाग-IV जारी किया है।
